न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/4663/2003/बारां

1– काल्या पुत्र मथुरा
2– रुगनाथ पुत्र प्रभू
3– किशना पुत्र हीरा
4– रामचन्द्र पुत्र हीरा
5– मु0 बिशनी बाई बेवा प्रभूलाल
6– मु0 राम्पयारी पुत्री प्रभूलाल
7– द्रोपदी बाई पुत्री प्रभूलाल
समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण कांसल, तहसील छबडा, जिला बारॉ।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– प्रहलाद पुत्र लटूर
2– मांगीलाल पुत्र लटूर
3– मु0 रामनार्थी बेवा लटूर
4– मु0 बद्री बाई पुत्री लटूर
5– मु0 कस्तूरी बाई पुत्री लटूर
समस्त जाति कुम्हार, निवासीगण कांसल, तहसील छबडा, जिला बारॉ।
6– राजस्थान सरकार

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री खडग सिंह, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 31–05–2018

हस्तगत द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अंतर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण अपील संख्या 356/2002 काल्या वगैरा बनाम प्रहलाद वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09–07–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के समक्ष वादीगण/हस्तगत अपील के रैस्पो0 संख्या 1 से 3 प्रहलाद वगैरा द्वारा प्रतिवादीगण/हस्तगत अपील के अपीलार्थी संख्या 1 से 4 के विरुद्ध, आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, 5 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल

रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा **स्थित ग्राम भोंरा, तहसील छबडा** के सम्बन्ध में विभाजन का वाद, अन्तर्गत धारा 53, अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या–1 काल्या का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या–2 रुगनाथ का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 किशना व रामचन्द्र का हिस्सा 2/5 है। वाहमी बॅटवारे के अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज हैं, किन्त विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण का हिस्सा खसरा नम्बर 5 में पश्चिमी तरफ का है, जिस पर भूमि विकास बैंक से लोन लिया हुआ है। अतः दावा वादी डिक्री कर वादीगण को खसरा नम्बर 5 में पश्चिमी तरफ का 1/5 का अलग से खाता कायम किया जाये। इसी प्रकार से एक दूसरा वाद वादी मांगीलाल वगैरा की ओर से **ग्राम कांसल, तहसील छबडा** की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं **ग्राम कैशोली, तहसील छबडा** की भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4/ वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 से 4 ने जबाब दावा प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि कन्हैंयालाल की थी। कन्हैंयालाल के पहली पत्नी जडाव थी जिससे बद्रीलाल, चतुरभुज, गुलाब बाई हुये और दूसरी पत्नी देवबाई से मोती, प्रभलाल, बद्री बाई हुए। बद्रीलाल के तीन लडके प्रभू, श्री किशन, रामप्रसाद हैं और प्रभूलाल के वारिसान में प्रतिवादी संख्या 2 रघुनाथ व उसकी मॉ बिशनी बाई है, जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। सह खातेदार मथुरालाल के वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया है, अतः दावा खारिज योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित करते हुये, निर्णय दिनांक 18.11.1997 से दावा मैटेंनेबल नहीं मानते हुये खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 25–2–1999 से अपील स्वीकार कर तरमीमी वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर प्रकरण को रिमाण्ड किया।

3– वादी द्वारा तरमीमी वाद प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व वाद के वादीगण के साथ साथ लटूर की पुत्रियों मु0 बद्रीबाई व मु0 कस्तूरी बाई को वादी के रुप में दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी के रुप में प्रभूलाल के वारिसान मु0 किशनी बाई बेवा प्रभूलाल व मु0 राम्पयारी, द्रोपदी बाई पुत्रियां प्रभूलाल को दर्ज किया गया । पूर्व वाद में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, 5 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा **स्थित ग्राम भोंरा, तहसील छबडा** के साथ साथ नवीन वाद में **ग्राम कांसल, तहसील छबडा** की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं **ग्राम कैशोली, तहसील छबडा** की भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा को भी नवीन वादपत्र में सम्मलित किया गया। वादपत्र में अनुतोष चाहा गया कि उपरोक्त भूमियों में वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा पृथक से खातेदारी दर्ज की जाये। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने जबाब दावा प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिताओं द्वारा परिवार के रुप में कांसल की भूमि खसरा नम्बर मि0 59/245 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व ग्राम काल्याखेडी की

भूमि खसरा नम्बर मि0 3 रकबा 6 बीघा क्रय की थी किन्तु लटूर परिवार में बडा होने से व कर्त्ता परिवार होने से आराजी उसके नाम अंकित कर दी गई, जब कि भूमि को मौके पर विभाजित कर काश्त करते रहे हैं। वादपत्र में अंकित भूमियों के अलावा अन्य भूमियां भी वादीगण के नाम दर्ज हैं जिनमें प्रतिवादी हिस्सेदार हैं और अपने नाम करने के अधिकारी हैं। विकल्प में वादीगण द्वारा पेश वाद में वर्णित भूमियों में से वादीगण के नाम दर्ज भूमियों में से कम करे या समस्त भूमियों को एक साथ समायोजन कर हिस्सेवार अलग अलग राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना चाहिए। निर्णय दिनांक 13–3–2002 से परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 09–07–2003 से अपील को खारिज किया और परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया कि "अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्तावों पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करें और यथासंभव पक्षकारान के कब्जे व हिस्से के अनुसार विभाजन कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जाये।" इस निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, सी0पी0सी0 पर कथन किया कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात पूर्व में उनके पास नहीं थे, अतः प्रकरण में आवश्यक होने व निर्णय में मददगार होने से इन्हें रिकार्ड पर लिया जाये। योग्य अधिवक्ता ने गुणावगुण पर बहस में उज्र लिया कि विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत हैं जो निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में हमारा स्पष्ट रुप से उज्र रहा है कि वादीगण के पास अन्य जो भूमियां हैं उनमें हमारा भी हक हिस्सा है, जिनके लिये वाद नहीं लाया गया है। ग्राम कांसल, तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 59/245 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा एवं ग्राम काल्याखेडी की आराजी खसरा नम्बर मिन 3 रकबा 6 बीघा में प्रतिवादी–अपीलार्थी का हिस्सा है क्योंकि ये भूमि संयुक्त पारिवारिक आय से क्रय की गई थीं किन्तु लटूर के नाम कर्ता परिवार होने से गलत प्रकार से लगा दी गईं। इस भूमि के बाबत् हमारे द्वारा प्रतिवाद दायर किया गया था। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विवाद बिन्दु को तय नहीं किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों की अनुपालना किये बिना निर्णय पारित किया है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरुद्ध होने वे अपील स्वीकार की जाये और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5– प्रत्यर्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, सी0पी0सी0 पर जबाब में कथन किया कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण में आवश्यक व निर्णय में मददगार नहीं हैं, अतः सुसंगत दस्तावेज होने से इन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। इन्हें ये दस्तावेज पूर्व में ही पेश करने चाहिए थे। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये। गुणावगुण पर योग्य अधिवक्ता रैस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तथ्यों व रिकार्ड के आधार पर सह खातेदारी की भूमि में से वादीगण के 1/5 हिस्से के लिये प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। समवर्ती निर्णयों में बिना किसी ठोस आधार के किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से उचित नहीं है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम कान्स की जिस भूमि को संयुक्त परिवार की भूमि होने का कथन करते हैं वह प्रश्नगत भूमि किसी भी दस्तावेज से पैत्रक भूमि साबित नहीं होती है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन किया।

7– प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, सी0पी0सी0 पर पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र के साथ में जो दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं उनमें विक्रय पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत नहीं की है बल्कि फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जो कि अस्पष्ट है और पठन योग्य नहीं है, अतः सुपाठ्य (legible) नहीं होने से रिकार्ड पर लिए जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा जो अन्य दस्तावेजात नामांतरकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं उन्हें भी पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए थे, द्वितीय अपील के स्तर पर ऐसे दस्तावेजात को ग्राह्य किया जान सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात सत्यापित प्रति नहीं होने से व ग्राह्य योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, सी0पी0सी0 अस्वीकार किया जाता है।

8– पत्रावली के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष दो वादपत्र **तहसील छबडा के ग्राम भोंरा** की आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा, 5 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा, ग्राम कांसल की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 124 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं ग्राम कैशोली, तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए थे। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2047–50, 2046–49, 2045–48 के अनुसार प्रश्नगत समस्त भूमि सह खातेदारी की भूमि रही है और वादीगण इसमें 1/5 हिस्से के खातेदार अभिलिखित हैं। दावा, जबाब दावा व पक्षकारान की प्लीडिंग्स के अनुसार यह स्वीकार्य तथ्य है कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य

हैं और आराजी सभी की सह खातेदारी की रही है। प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष की मुख्य आपत्ति यही रही है कि ग्राम कांसल की भूमि तथा ग्राम काल्याखेडी की भूमि वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों द्वारा संयुक्त परिवार की आय से क्रय की गई थी, किन्तु इस तथ्य को साबित करने हेतु अपीलार्थी पक्ष की ओर से ना तो विचारण न्यायालय में और ना ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ परीक्षण न्यायलाय द्वारा सह खातेदारान के मध्य अधिनियम, 1955 की धारा 53 के सुसंगत प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक डिक्री पारित की है और अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस निर्णय व डिक्री को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष लेते हुये निर्णय पारित किये हैं। RBJ (23) 2016 page 482 DB BOR में माननीय मण्डल की खण्ड पीठ ने स्पष्ट अभिमत दिया है कि समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसी प्रकार से RBJ (4) 1997 page 39 DB BOR, RBJ (16) 2009 page 725 DB BOR में माननीय मण्डल की खण्ड पीठ ने स्पष्ट अभिमत दिया है कि निर्णय में स्पष्ट रुप से त्रुटि नहीं होने से की स्थिति में, समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं है। RBJ (14) 2007 page 35 RHC में माननीय उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप को सही नहीं माना है।

9– फलतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय स्थिति के मद्दे नजर, उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है।

10– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष